न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 23/2019

1. अमीलाल पुत्र श्री गोपीराम जाति कुम्हार आयु लगभग 62 वर्ष निवासी चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. दलीप कुमार पुत्र श्री गोपीराम जाति कुम्हार आयु लगभग 48 वर्ष निवासी चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. जुगनलाल पुत्र श्री गोपीराम जाति कुम्हार आयु लगभग 46 वर्ष निवासी चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. गोपीराम पुत्र श्री नन्दराम जाति कुम्हार आयु लगभग 82 वर्ष निवासी चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. घोषणा, विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री दिनेश छाबडा	वादी संख्या 1–3
2. श्री सतविन्द्र चहल	प्रतिवदी संख्या–1
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 2

–:: निर्णय ::– दिनांक :–04.06.2019

वादी संख्या 1 ता 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के दादा नन्दाराम पुत्र दानाराम थे जिनका देहान्ता हो चुका है। नन्दाराम के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वारिसान कालूराम एवं पिता वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 है। प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान वादीगण एवं वादीगण का भाई मृतक बृजलाल एवं अन्य है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अंकित भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित पैत्रिक संपत्ति है। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा मृतक बृजलाल के वारिसार को उनके हक व

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

हिस्सा की भूमि 1.381 हैक. जरिए न्यायालय आदेश दी जा चुकी है। इसलिए बृजलाल के वारिसान को मौजूदा वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं ना ही उनके खिलाफ कोई अनुतोष चाहा गया है। वादीगण के दादा श्री नन्दाराम पुत्र श्री दानाराम के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 7 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 42 का किला नबर 1 ता 25, मुरब्बा नम्बर 43 का किला नम्बर 1 ता 25 एवं मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 4 ता 7 व 14 ता 17, 25 कुल 10 बीघा तादादी 60 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड थी जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। नन्दाराम के देहान्त उपरान्त उक्त वर्णित कृषि भूमि उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम एवं उनके भाई कालूराम में विरास्तन बहिस्सा बराबर–बराबर औध हुई। उपरोक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से निस्फ हिस्सा अर्थात 30 बीघा कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड हुई। प्रतिवादी संख्या 1 को निस्फ हिस्सा अर्थात 30 बीघा भूमि अपने पिता से विरास्तन एवं उनके पिता को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई थी इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त वर्णित भूमि में अंकित हुआ निस्फ हिस्सा वादीगण के लिए संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रिक सम्पत्ति हुआ जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा है एवं वादीगण पैत्रिक सम्पत्ति में अपने अपने हक व हिस्सा की हद तक अधिकारों की घोषिणा करवाकर पारिवारिक समझौता अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा पाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी संख्या 1 एवं उनके भाई कालूराम के मध्य उक्त वर्णित सम्पत्ति का विभाजन होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 7 ई छोटी, पटवार हल्का चक 4 एमएल का खाता संख्या 41/36 जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 43 का किला नम्बर 1/2(0.152), 2/2(0.152), 3/2(0.152),4/2(0.152), 5/2(0.152), 6 ता 20 प्रत्येक सालम, 21/2 में 0.025 हैक. कुल 4.5800 हैक. एवं मुरब्बा नम्बर 14 ता 17 प्रत्येक सालम, 24, 25 कुल 2.3280 हैक. तादादी कुल 6.9080 हैक. भूमि दर्ज रिकार्ड हुई जो कि हिन्दू संयुक्त परिवाद की अविभाजित पैत्रिक सम्पत्ति है एवं जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता नन्दाराम के देहान्त के उपरान्त उक्त वर्णित हिन्दू संयुक्त परिवार की अविभाजित पैत्रिक कृषि भूमि में वादीगण एवं वादीगण के भाई का हक व हिस्सा होना स्वीकार करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य पैत्रिक भूमि का पारिवारिक विभाजन किया जाकर कुल 6.9080 हैक. में से प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को पैत्रिक भूमि में से उनके हक व हिस्सा की 1.723 हैक. भूमि, प्रत्येक वादीगण को निम्नानुसार दी जाकर एवं अपने हिस्सा का भी परित्याग कर भूमि का विभाजन कर दिया जिस अनुसार वादीगण को निम्न प्रकार से पैत्रिक भूमि का हिस्सा प्राप्त हुआ :–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अमीलाल वादी संख्या 1 के हक व हस्सा में तहसील श्रीगंगानगर के चक 7 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 1 में 0.152, 2 में 0.101 (पश्चिमी हिस्सा), 9 में 0.030 (पश्चिमी हिस्सा), 10 सालम, 11 सालम, 12 में 0.030 (पश्चिमी हिस्सा), 19 में 0.029 (पश्चिमी हिस्सा), 20 सालम, 21 में 0.025 कुल 1.126 एवं मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 6 में 0.150 (पूर्वी हिस्सा), 15 में 0.150 (पूर्वी हिस्सा), 16 में 0.150 (पूर्वी हिस्सा), 25 में 0.151 (पूर्वी हिस्सा), कुल 0.601 हैक. तादीदी कुल 1.727 हैक.। **दलीप कुमार वादी संख्या 2** के हक व हिस्सा में तहसील श्रीगंगानगर के चक 7 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 43 में किला नम्बर 4 में 0.101 (पूर्वी हिस्सा), 5 में 0.152(पूर्वी हिस्सा), 6 सालम, 7 में 0.238 (पूर्वी हिस्सा),14 में 0.238 (पूर्वी हिस्सा), 15 सालम, 7 में 0.238 (पूर्वी हिस्सा) कुल 1.727 हैक.। **जुगनलाल वादी संख्या 3** के हक व हिस्सा में तहसील श्रीगंगानगर के चक 7 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 2 में 0.051 (पूर्वी हिस्सा), 3 में 0.152, 4 में 0.051(पश्चिमी हिस्सा), 7 में 0.015(पश्चिमी हिस्सा) 8 सालम, 9 में 0.223 (पूर्वी हिस्सा), 12 में 0.223 (पूर्वी हिस्सा), 13 सालम 14 में 0.015 (पश्चिमी हिस्सा), 17 में 0.014 (पश्चिमी हिस्सा), 18 सालम, 19 में 0.224 (पूर्वी हिस्सा)कुल 1.727 हैक.। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बृजलाल मृतक के 1.727 हैक. भूमि में से 1.381 हैक. भूमि बृजलाल के वारिसान को पैत्रिक भूमि में उनके हिस्सा की जरिए न्यायालय आदेश दिये जाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक 7 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 6 में 0.103 (पश्चिमी हिस्सा), 15 में 0.103 (पश्चिमी हिस्सा), 16 में 0.103 (पश्चिमी हिस्सा), 25 में 0.037 हैक. (पश्चिमी हिस्सा) कुल 0.346 हैक. भूमि पैत्रिक सम्पत्ति में से आयी।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्तानुसार पैत्रिक भूमि का मौका पर घरू विभाजन कर काबिज काश्त अर्सा दराज से चले आ रहे हैं एवं उक्त वर्णित पैत्रिक भूमि का विभाजन कृषि भूमि में नहीं है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। उक्त वर्णित कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादाधीन कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता से पैत्रिक भूमि के विभाजन में 6.9080 हैक. कृषि भूमि प्राप्त हुई थी जो कि पैत्रिक भूमि होने के कारण वादीगण का उक्त भूमि में जन्म से ही हक व हिस्सा है तथा वादीगण उक्त वर्णित वादाधीन कृषि भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा करवा कर उपरोक्तानुसार विभाजन करवा पाने के विधिक अधिकारी हैं। वादीगण का वादाधीन कृषि भूमि पर संयुक्त कब्जा अनाविक रूप से बतौर कोपासनर है। वादीगण द्वारा अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से एवं स्वयं भी कई मरतबा प्रतिवादी संख्या 1 को समझाया कि वादाधीन पैत्रिक कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ वादीगण के जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जिसका पारिवारिक तौर से किये गये विभाजन का मौका कब्जा अनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधित करवा कर पैत्रिक भूमि होने के कारण वादीगण के नाम से बतौर खातेदार अंकन करवा कर उपरोक्तानुसार विभाजन का अमल दरामद करवा कर अलग–अलग जमाबंदी तैयार करवा कर लगान का निर्धारण करवा लेवे लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने मृतक बृजलाल के वारिसान को पैत्रिक सम्पत्ति में हिस्सा देने के उपरान्त दिनांक 29.01.2019 को ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस यही बिनाए मुखास्मत खिलाफ प्रतिवादी वादीगण को हासिल है। प्रतिवादी संख्या 2 को पैत्रिक भूमि का इन्द्राज वादीगण के नाम से उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में करने एवं विभाजन का अंकन करने का कहे जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी दिनांक 30.01.2019 को माननीय न्यायालय से आदेश लाने का कहा गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ भी वादीगण को वाद हेतुक हासिल है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वाद निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे :–

1. वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 पारित की जाकर घाषित किया जावे कि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अंकित वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 7 ई छोटी, पटवार हल्का चक 4 एमएल का खाता संख्या 41/36, जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के अनुसार मुरब्बा नम्बर 43 का किला नम्बर 1/2 में 0.152, 2/2 में 0.152, 3/2 में 0.152, 4/2 में 0.152, 5/2 में 0.152, 6 ता 20 प्रत्येक सालम, 21/2 में 0.025 हैक. कुल 4.5800 हैक. एवं मुरब्बा नम्बर 44 में किला नम्बर 4/2 में 0.152, 5/2 में 0.152, 6, 7, 14 ता 17 प्रत्येक सालम, 24, 25 कुल 2.3280 हैक. तादादी कुल 6.9080 हैक. भूमि में से 1.381 हैक. पैत्रिक भूमि बृजलाल के वारिसान को न्यायालय आदेश से दिये जाने के उपरान्त शेष रही 5.527 हैक. भूमि मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैत्रिक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा होने के कारण वादीगण खातेदार कृषक है। उक्तानुसार हिस्सा घोषित कर राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से इन्द्राज करने के आदेश पारित किये जावे।

2. डिक्री विभाजन बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 पारित की जाकर वाद पत्र की मद संख्या 7 में वर्णित तथ्यों अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य पैत्रिक भूमि का विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने एवं पृथक जमाबंदी तैयार कर पृथक पृथक लगान निर्धारित करने की पारित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

3. अन्य कोई अनुतोष वादी के हक में हो तो प्रदान की जावे।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 26.02.2019 को जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया जिसके कथनानुसार प्रतिवादी ने वादीगण को उनके हक व हिस्सा की भूमि का यथानुसार कब्जा अर्सा पूर्व दिया हुआ है। जिसके अनुसार **अमीलाल वादी संख्या 1** के हक व हिस्सा में तहसील श्रीगंगानगर के चक 7 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 43 में किला नम्बर 1 में 0.152, 2 में 0.101 (पश्चिमी हिस्सा), 9 में 0.030 (पश्चिमी हिस्सा), 10 सालम, 11 सालम, 12 में 0.030 (पश्चिमी हिस्सा), 19 में 0.029 (पश्चिमी हिस्सा), 20 सालम, 21 में 0.025, कुल 1.126 एवं मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 6 में 0.150 (पूर्वी हिस्सा), 15 में 0.150(पूर्वी हिस्सा), 16 में 0.150 (पूर्वी हिस्सा), 25 में 0.151 (पूर्वी हिस्सा) कुल 0.601 हैक. तादादी कुल 1.727 हैक. दलीप कुमार वादी संख्या 2 के हक व हिस्सा में तहसील श्रीगंगानगर के चक 7 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 43 में किला नम्बर 4 में 0.101(पूर्वी हिस्सा), 5 में 0.152(पूर्वी हिस्सा), 6 सालम, 7 में 0.238(पूर्वी हिस्सा), 14 में 0.238(पूर्वी हिस्सा), 15 सालम, 16 सालम, 17 में 0.239(पूर्वी हिस्सा), कुल 1.727 हैक., जुगनलाल वादी संख्या 3 के हक व हिस्सा में तहसील श्रीगंगानगर में चक 7 ई छोटी का मुरब्बा नम्बर 43 में किला नम्बर 2 में 0.051(पूर्वी हिस्सा), 3 में 0.152 (पश्चिमी हिस्सा), 7 में 0.015 (पश्चिमी हिस्सा), 8 सालम, 9 में 0.223(पूर्वी हिस्सा), 12 में 0.223(पूर्वी हिस्सा), 13 सालम, 14 में 0.015(पश्चिमी हिस्सा), 17 में 0.014 (पश्चिमी हिस्सा), 17 में 0.014 (पश्चिमी हिस्सा), 18 सालम, 19 में 0.224(पूर्वी हिस्सा), कुल 1.727 हैक. एवं प्रतिवादी मुजीब के द्वारा बृजलाल मृतक के 1. 727 हैक. भूमि में से 1.381 हैक. भूमि बृजलाल के वारिसान को पैत्रिक भूमि में उने हिस्सा की जरिए न्यायालय आदेश दिये जाने के उपरान्त प्रतिवादी मुजीब के नाम से चक 7 ई छोटी तहसील श्रीगंगागनर के मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 6 में 0.103 (पश्चिमी हिस्सा), 15 में 0.103 (पश्चिमी हिस्सा), 16 में 0.103(पश्चिमी हिस्सा), 25 में 0.037 हैक(पश्चिमी हिस्सा) कुल 0.346 हैक. भूमि पैत्रिक सम्पत्ति में से आयी है। लिहाजा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किये जाने में प्रतिवादी मुजीब को कोई ऐतराज नहीं है। अतः डिक्री फरमाया जावे। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 26.02.2019 को आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाद मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री फरमाया जावे। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया। दिनांक 26.04.2019 को प्रतिवदी संख्या 2 पैरोकार राज द्वारा उपस्थित होकर स्टेट की ओर से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वाद पक्षकारान के आपसी विवाद का है। अतः राज्यहित को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। बार संघ द्वारा कार्य स्थगन किये जाने एवं अधिवक्तागण के उपस्थित नहीं होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना जाकर पत्रावली पर उपस्थित अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

–:: आदेश ::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	वादी का नाम	भूमि का विवरण
1	अमीलाल वादी सं0 1	चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 43 में किला नम्बर 1 में 0.152, 2 में 0.101 (पश्चिमी हिस्सा), 9 में 0.030 (पश्चिमी हिस्सा), 10 सालम, 11 सालम, 12 में 0.030 (पश्चिमी हिस्सा), 19 में 0.029 (पश्चिमी हिस्सा), 20 सालम, 21 में 0.025, कुल 1.126 एवं मुरब्बा नम्बर 44 का किला नम्बर 6 में 0.150 (पूर्वी हिस्सा), 15 में 0.150(पूर्वी हिस्सा), 16 में 0.150 (पूर्वी हिस्सा), 25 में 0.151 (पूर्वी हिस्सा) कुल 0.601 हैक. तादादी कुल 1.727 हैक.
2.	दलीपकुमार वादी सं0 2	चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 43 में किला नम्बर 4 में 0.101(पूर्वी हिस्सा), 5 में 0.152(पूर्वी हिस्सा), 6 समाल, 7 में 0.238(पूर्वी हिस्सा), 14 में 0.238(पूर्वी हिस्सा), 15 सालम, 16 सालम, 17 में 0.239(पूर्वी हिस्सा), कुल 1.727 हैक.
3	जुगनलाल वादी सं0 3	चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 43 में किला नम्बर 2 में 0.051(पूर्वी हिस्सा), 3 में 0.152, 4 में 0.051(पश्चिमी हिस्सा), 7 में 0.015 (पश्चिमी हिस्सा), 8 सालम, 9 में 0.223(पूर्वी हिस्सा), 12 में 0.223(पूर्वी हिस्सा), 13 सालम, 14 में 0.015(पश्चिमी हिस्सा),17 में 0.014 (पश्चिमी हिस्सा), 18 सालम, 19 में 0.224(पूर्वी हिस्सा), कुल 1.727 हैक.
4	गोपीराम प्रतिवादी सं0 1	चक 7 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मुरब्बा नम्बर 44 में किला नम्बर 6 में 0.103(पश्चिमी हिस्सा),15 में 0.103(पश्चिमी हिस्सा),16 में 0.103 (पश्चिमी हिस्सा), 25 में 0.037 हैक.(पश्चिमी हिस्सा), कुल 0.346 हैक.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

नोट :–प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा बृजलाल मृतक के 1.727 हैक. भूमि में से 1.381 हैक. भूमि बृजलाल के वारिसान को पैत्रिक भूमि में उनके हिस्सा की जरिए न्यायालय आदेश दिया जा चुका है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 04.06.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर